न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही (राजस्थान)

(पीठासीन अधिकारीः डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्याः 09/2024

अपीलार्थी

बाबुलाल पुत्र मंछाजी, जाति– माली, निवासी– सनपुर, तहसील व जिला– सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थी

राजस्थान राज्य जरिये नायब तहसीलदार, कालन्द्री, तह. रेवदर, जिला– सिरोही

"अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री रमेश कुमार माली, अपीलार्थी की ओर से
2. पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थी की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 12 अप्रेल, 2024**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थी की ओर से यह अपील नायब तहसीलदार, कालन्द्री द्वारा प्रकरण संख्या 190/2024 अर्न्तगत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 में पारित निर्णय दिनांक 19.2.2022 बाबत अपीलार्थी को ग्राम सनपुर, पटवार हल्का सनपुर के खसरा संख्या 539 रकबा 0.0400 हेक्टेयर किस्म गै.मु. नाला राजकीय बिलानाम भूमि का अतिक्रमी घोषित कर मौके से बेदखल करने एवं जुर्माना आरोपित करने के आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी को सम्मन जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपील की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुये।

(3) बहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री माली ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की मंशा व प्रकृति को समझने में असफल रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने स्वविवेक का प्रयोग नहीं कर मनमाने रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत जाकर अपीलार्थी को अतिक्रमी मानकर निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि की है। हल्का पटवारी, सनपुर अपने मुकदमें को साबित करने में पूर्णतः विफल रहे है, विधि का यह सर्वमान्य एवं सुस्थापित सिद्धांत हैं कि वादी अपने पैरों पर खड़ा हों, अर्थात प्रार्थी को अपना केस साबित करना था, अप्रार्थी की कमी या कमजोरी का लाभ प्रार्थी प्राप्त नहीं कर सकता हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने विधि व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की पूर्ण अनदेखी कर अपीलार्थी को पूर्ण सुनवाई का अवसर दिए बिना ही निर्णय पारित कर अपीलार्थी को भौतिक रूप से बेदखल करने, तथा जुर्माना अधिरोपित करने का आदेश पारित करने में भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब व दस्तावेजों का अवलोकन किये बिना ही जल्दबाजी में उक्त निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के अवलोकन से ही यह स्पष्ट है अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी के त्रुटिपूर्ण दस्तावेजों के आधार पर तैयार त्रुटीपूर्ण रिपोर्ट को सर्वोपरि मानकर बिना किसी आधार के सम्पूर्ण दस्तावेज एवं रेकर्ड की जांच किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया हैं। नायब तहसीलदार, कालन्द्री द्वारा बारों–बार हल्का पटवारी की ओर से प्रस्तुत त्रुटीपूर्ण रेकर्ड एवं रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं साक्ष्य के विपरीत उक्त आदेश पारित किया है, जो विधि विरुद्ध है। [illegible] से प्रस्तुत बेदखली फर्द एवं

.....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.05.17 11:53:30 IST
Reason: SelfAttested

पटवारी के बयान साक्ष्य में ग्रहण योग्य नहीं है, तथा साक्ष्य में शुमार किये जाने योग्य नहीं हैं, उसे साक्ष्य में नहीं पढ़ा जा सकता हैं, जिससे अपीलाधीन निर्णय अपास्त किये जाने योग्य हैं। यह कि अपीलार्थी को जिस खसरा संख्या 539 की भूमि पर अतिक्रमण करना बताया है, वास्तव में वह भूमि अपीलार्थी एवं उसके परिवार के स्वामित्व की भूमि खसरा संख्या 530, 531, 532 से लगती हुई जरुर है लेकिन अपीलार्थी ने किसी भी तरह का कब्जा उक्त भूमि खसरा संख्या 539 पर किया हुआ नहीं है, जबकि गैर सायल द्वारा बनाई हुई दीवार, लगाए गये पेड़ एवं अन्य निर्माण स्वयं के एवं उनके परिवार के स्वामित्व वाली भूमि खसरा संख्या 530, 531, 532 में बना हुआ है। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत मौक़ा फर्द, संलग्न त्रुटीपूर्ण भू नक्शा से ही पूर्णतया साबित है कि मौके पर बिना जरीब चलाए मोबाइल जी.पी.एस. की सहायता से विवादित भूमि का सीमा ज्ञान कर अपीलार्थी के विरुद्ध मात्र 0.0400 हैक्टेयर कृषि भूमि के सूक्ष्म अतिक्रमण का आरोपी बनाया है, जबकि हल्का पटवारी द्वारा जिस विधि से पैमाईश कर सीमा ज्ञान किया गया है उक्त मोबाइल जी.पी.एस. से पैमाईश की विधि राजस्व कानून के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त विधि नहीं है एवं न ही हल्का पटवारी ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया है जिससे यह साबित हो सके की हल्का पटवारी मोबाइल जी.पी.एस. से पैमाईश करने के लिए किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षित है। मौका स्थिति अनुसार वर्तमान में मौके पर एक तरफ आबादी होने (आबादी बसी हुई) तथा दूसरी तरफ वर्तमान में रबी की सीजन की फसल खड़ी होने के कारण बरलूट से कालन्द्री जाने वाली सड़क/रास्ता बिना किसी रुकावट / कब्जे के मौजूद है एवं आमजन का आना जाना एवं यातायात सुचारू रूप से जारी है। प्रश्नगत खसरा संख्या 539 की विवादित भूमि आज भी मौके पर बिना किसी अतिक्रमण कब्जे मौजूद के है जिसमें बरसाती पानी जमा होता है एवं आगे की तरफ की निकासी होती। उसके उपरान्त भी नायब तहसीलदार, कालन्द्री द्वारा बारों–बार अपीलार्थी से prejudice होकर उसके द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं दस्तावेजों पर गौर किये बिना विवादित भूमि अपीलार्थी व उसके परिवार की आबादी भूमि होने के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य पत्रवाली पर मौजूद होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने महज खानापूर्ति के इरादे से विधि विरुद्ध रूप से अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। यह कि मौका स्थिति एवं अपीलार्थी के खातेदारी भूमि के जमाबंदी /नक्शा एवं दस्तावेजी साक्ष्य व हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत मौक़ा फर्द से भी स्पष्ट है कि हल्का पटवारी, सनपुर ने राजस्व कानून व नियमों में वर्णित पैमाईश विधि से हटकर मोबाइल जी.पी.एस. के द्वारा त्रुटीपूर्ण राजस्व रेकर्ड के आधार पर गलत सीमा ज्ञान कर अपीलार्थी को अतिक्रमी घोषित किया है। इस तरह विधि विरुद्ध की गई पैमाईश से यह तय कर पाना कतई संभव नहीं है कि अपीलार्थी ने विवादित खसरे पर अतिक्रमण किया है। वास्तव में हल्का पटवारी को राजस्व रेकर्ड की दुरुस्ती करने के उपरान्त राजस्व कानून व नियमों में वर्णित एवं विधि में मान्यता प्राप्त पैमाईश विधि के आधार पर पैमाइश करना चाहिए था, परन्तु हल्का पटवारी द्वारा रेकर्ड का अवलोकन किये बिना ही औपचारिक तौर पर अधीनस्थ न्यायालय में धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत अपीलार्थी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाया है एवं जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी साक्ष्य का सही विवेचन किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। भारतीय विधि एवं प्राकृतिक न्याय का यह सर्वमान्य सिद्धांत हैं कि कोई भी अपने स्वयं के मामले में न्यायाधीश नही हो सकता है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, कालन्द्री ने उक्त सिद्धांतों की पूर्ण अवहेलना कर उपरोक्त कार्यवाही अपीलार्थी के विरुद्ध अमल में लाकर केवल मात्र पटवारी हल्का, सनपुर की रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। यह कि अपीलार्थी उक्त विवादित भूमि में अतिक्रमी नहीं है, अपीलार्थी को बिना किसी आधार के अतिक्रमी नहीं माना जा सकता, अपीलार्थी का निर्माण अपन[illegible] की खातेदारी भूमि में ही है। हल्का

......पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.05.17 11:53:30 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर * सिरोही *
सत्यमेव जयते

द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द एवं राजस्व रेकर्ड नक्शे से ही स्पष्ट एवं स्वीकृत है कि हल्का पटवारी द्वारा बिना वैध पैमाईश के केवल त्रुटीपूर्ण राजस्व नक्शें/रेकर्ड के आधार पर अपीलार्थी को खसरा संख्या 539 का अतिक्रमी घोषित किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य मौजूद नहीं थे जिससे अपीलार्थी को अतिक्रमी माना जा सके। अतः अपीलार्थी की अपील को स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, कालन्द्री द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 19.2.2024 को निरस्त किया जावे। जबकि विद्वान पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि हल्का पटवारी, सनपुर द्वारा संवत 2080 में अपीलार्थी के विरुद्ध ग्राम सनपुर के खसरा संख्या 539 रकबा 0.0400 हेक्टेयर किस्म गै.मु. नाला भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा व पक्की दिवार बनाने के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, कालन्द्री में रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अपीलार्थी के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय में धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किया गया। जिस पर अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ एवं जवाब प्रस्तुत किया। विवादित भूमि राजस्व भू अभिलेख राजकीय बिलानाम किस्म नाला भूमि दर्ज है एवं अपीलार्थी द्वारा गै.मु. नाला राजकीय बिलानाम भूमि पर अतिक्रमण किया जाना पाया जाने से बाद जांच अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। अतः अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जावे।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरता पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि हल्का पटवारी, सनपुर द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध संवत 2080 में ग्राम सनपुर के खसरा संख्या 539 रकबा 0.0400 हेक्टेयर किस्म गै.मु. नाला राजकीय बिलानाम भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा व पक्की दीवार बनाने की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, कालन्द्री में अपीलार्थी के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया। जिस पर अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई तिथि 13.2.2024 को उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा। तत्पश्चात् अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई तिथि 19.2.2024 को उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि हल्का पटवारी, सनपुर एवं भू अभिलेख निरीक्षक, मेरमांडवाडा द्वारा अपीलार्थी एवं अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति में दिनांक 29.01.2024 को विवादित भूमि की जी.पी.ए.स. की सहायता से पैमाईश की गई, जिसमें खसरा संख्या 539 किस्म गै.मु. नाला भूमि पर बाबुलाल पुत्र मंछाराम माली का अतिक्रमण पाया गया है। इस प्रकार, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा ग्राम सनपुर, पटवार हल्का सनपुर के खसरा संख्या 539 रकबा 0.0400 हेक्टेयर किस्म गै.मु. नाला राजकीय बिलानाम भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा व दीवार का निर्माण करवाया है। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी की अपील सारहीन होने व साबित नही होने से खारिज योग्य है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत अपील अपीलार्थी अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध प्रत्यर्थी सारहीन होने एवं भलीभांति साबित नही होने से खारिज की जाती है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 12 अप्रेल, 2024 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.05.17 11:53:30 IST
Reason: SelfAttested